राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः न.निरी.4(02)/विविध/अभि/18 जयपुर, दिनांकः– 23/12/21

–:आदेश:–

इस निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 02.05.2012, 14.11.2013, 11.06.2014, 30.12.2015 एवं 01.05.2018 का अधिष्ठित करते हुये, इस विभाग में विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किया जाता है:–

क्र.सं.	अधिकारी का पद	कार्यालय का नाम जहां निरीक्षण किया जाना है।	अवधि (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पालना
1	निदेशक अभियोजन, राजस्थान	(i) संभागीय स्तर पर उप निदेशक अभियोजन कार्यालय, (ii) सम्भाग स्तर पर सम्भाग के अधिकारियों की बैठक एवं (iii) आकस्मिक निरीक्षण– राज्य में अभियोजन विभाग के किसी भी कार्यालय।	वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार आवश्यकतानुसार	अभियोजन निदेशालय
2	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय)	(i)सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय (ii)उप निदेशक अभियोजन (संभागीय) द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा (माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के अन्तर्गत आने वाले जिले)	वर्ष में एक बार	अभियोजन निदेशालय
3	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन)	(i) सहायक निदेशक अभियोजन के कार्यालय। (ii)उप निदेशक अभियोजन (संभागीय) द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा (माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ के अन्तर्गत आने वाले जिले) (iii) लोक अभियोजक कार्यालय श्रीगंगानगर	वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार	अभियोजन निदेशालय
4	उप निदेशक अभियोजन (सतर्कता)	(i) सहायक निदेशक अभियोजन स्तर तक के अधिकारियों के विरूद्व प्राथमिक जांच हेतु सम्बन्धित कार्यालय का निरीक्षण, (ii) आकस्मिक निरीक्षण– राज्य में अभियोजन विभाग कार्यालय का निदेशक अभियोजन की आज्ञा से आवश्यकतानुसार एवं (iii) अभियोजन निदेशालय के अनुभागों।	वर्ष में दो बार	अभियोजन निदेशालय
5	उप निदेशक अभियोजन (सम्भागीय)	(i) सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय, (ii) सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी जो न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत है, के कार्यालय का निरीक्षण, परन्तु इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय सम्मलित नहीं हैं। (iii)सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा, (iv) अभियोजन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण,	वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार	अभियोजन निदेशालय

23/12

क्र.सं.	अधिकारी का पद	कार्यालय का नाम जहां निरीक्षण किया जाना है।	अवधि (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पालना
		(v) अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण निदेशक अभियोजन की आज्ञा से एवं (vi) स्वयं के कार्यालय।	वर्ष में दो बार	
6	सहायक निदेशक अभियोजन जिला स्तरीय	(i) अभियोजन अधिकारी, (ii) सहायक अभियोजन अधिकारी एवं (iii) स्वयं के कार्यालय।	वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार वर्ष में दो बार	उप निदेशक अभियोजन
7	अभियोजन अधिकारी	स्वयं के कार्यालय।	वर्ष में दो बार	सहायक निदेशक अभियोजन
8	सहायक अभियोजन अधिकारी	स्वयं के कार्यालय।	वर्ष में दो बार	सहायक निदेशक अभियोजन

आज्ञा से,

22/12

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)।
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय)/अभियोजन।
4. उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय/सतर्कता)।
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. समस्त अभियोजन अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली

(उमेन्द्र गोयल)
संयुक्त विधि परामर्शी